उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांक8293/यूपीरेरा/तक.सेल/प्रतिसंहरण/2019–20 दिनांक 18 सितम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की 20वीं बैठक दिनांक 04.09.2019 के एजेण्डा बिन्दु 3 पर प्राधिकरण द्वारा ग्राम शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी जनपद गौतम बुद्व नगर स्थित कतिपय प्रोमोटर्स की उ.प्र. रेरा में पंजीकृत निम्नलिखित 16 परियोजनाओं का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है:–

Sr. No.	Project Name	District	Registration ID	Promoter Name
1	NAGORI HOMES	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ13882	Varun Yadav
2	NAGORI HOMES 2	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15731	Varun Yadav
3	NAGORI HOMES 3	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15732	Varun Yadav
4	J P HITE	Dadri, Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ16603	JATINDER PAL SINGH
5	MAAN RESIDENCY	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ13421	JASBIR MAAN
6	AASHIANA HOMES	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ14479	JASBIR MAAN
7	PLOT NO.-28, FRIENDS ENCLAVE, SHAHBERI, GAUTAM BUDH NAGAR	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15808	M/S MEGA REALINFRA PRIVATE LTD.
8	MAAN HEIGHTS	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ14572	MAAN PROPERTIES AND DEVELOPERS PVT. LTD
9	PLOT NO.13-14	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15805	MEGA REALINFRA PRIVATE LIMITED
10	BALAJI APARTMENT	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15888	PANKAJ JAIN
11	HIMALAYA RESIDENCY PHASE -I	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15885	RAHUL KUMAR
12	SHREE SHYAM APARTMENT-2	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15718	surendra singh
13	SHREE SHYAM APARTMENT	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15721	surendra singh

14	GOLDEN NEST3	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ13045	SHAILENDER KUMAR
15	SARA HOMES 2	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15733	FURKAN
16	BRIGHTON HOUSES	Gautam Buddha Nagar	UPRERAPRJ15766	ANABIA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

प्राधिकरण द्वारा अग्रेतर निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(1) सम्बन्धित प्रोमोटर्स को रेरा की वेबसाइट पर प्रश्नगत परियोजना के वेबपेज को ऐक्सेस करने से निषिद्व कर दिया जाए।

(2) सम्बन्धित प्रोमोटर का नाम प्राधिकरण की डिफाल्टर सूची में डाल दिया जाए और उनके फोटोग्राफ रेरा के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएं।

(3) देश के अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्राधिकरणों को परियोजनाओं का पंजीयन निरस्त करने की सूचना दे दी जाए।

(4) परियोजना के बैंक एकाउन्ट होल्ड करने वाली बैंक शाखाओं को यह निर्देश जारी कर दिए जाएं कि परियोजनाओं के बैंक एकाउन्ट निष्क्रिय कर दिए जाएं और प्रोमोटर को एकाउन्ट के संचालन की अनुमति न दी जाए।

(5) उपर्युक्त 16 परियोजनाएं प्लानिंग एरिया के अन्तर्गत हैं, अतः रेरा के क्षेत्राधिकार में हैं। प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की शिकायतों की विधिवत सुनवाई के उपरान्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुतोष प्रदान किया जा सकेगा।

सर्वसम्बन्धित द्वारा प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(अबरार अहमद)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, समस्त राज्य तथा संघीय राज्य।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. शाखा प्रबन्धक, समस्त सम्बन्धित बैंक।
5. वेब एडमिन उ0प्र0 रेरा।
6. तकनीकी सलाहकार उ0प्र0 रेरा को समाचार–पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।
7. सम्बन्धित प्रोमोटर।
8. कार्यालय प्रति।

(अबरार अहमद)
सचिव।